



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

विज्ञापित संख्या - 61/2018

एतद् द्वारा सत्र 2017-19 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं, अंगीभूत महाविद्यालय, सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, मॉडल विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 2017-19 सत्र के लिए स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि ग्यारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2018 के लिए उपलब्ध कराये गये मांग पत्र में अंकित संकायवार छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है।

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है :-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	27.09.2018 से 13.10.2018 तक	15.10.2018 तक
विलम्ब शुल्क सहित	14.10.2018 से 24.10.2018 तक	26.10.2018 तक

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन की कार्यवाई नहीं की जाएगी। छात्रों का पंजीयन ग्यारहवीं वर्ग की परीक्षा के लिए संकायवार प्राप्त मांग पत्र में अंकित छात्र संख्या के अनुसार ही किया जा सकेगा।

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in तथा www.jac.nic.in के माध्यम से +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन के चरण (Steps) निम्नवत् हैं:-

- +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान परिषद् के उक्त दोनों वेबसाइट्स में से किसी पर भी जाकर Online Registration form for Intermediate Examination 2019 अंकित Tab पर Click करेंगे। Click के बाद जो पेज खुलेगा उसमें एक फॉर्म, जो दिनांक 24.09.2018 से उपलब्ध होगा, को डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त फॉर्म में छात्र अपनी विवरणी भरकर +2 विद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेंगे जिसका उपयोग छात्रों के पंजीयन विवरणी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के माध्यम से भरने में किया जा सकेगा।
- +2 विद्यालय/महाविद्यालय को परिषद् द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये User ID, Password एवं Captcha को निर्धारित कॉलम में भरकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे। नये मान्यता प्राप्त अथवा उत्क्रमित +2 विद्यालय/महाविद्यालय को परिषद् द्वारा User ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा।
- तत्पश्चात् एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमें +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान का मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) भरना होगा। ध्यातव्य की यह मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) उनके +2 विद्यालय/महाविद्यालय के पंजीयन के लिए रजिस्टर्ड होगा एवं जितनी बार वे Login करेंगे, उस मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) पर One time password (OTP) का मैसेज आएगा एवं उस OTP को डालने के पश्चात् ही Login किया जा सकेगा। एक बार रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) को बदला नहीं जा सकता है।
- इसके बाद +2 विद्यालय / महाविद्यालय से संबंधित विवरणी के पेज में सभी जानकारी देनी होगी। +2 विद्यालय/महाविद्यालय की जानकारी देने के उपरान्त ही छात्रों का पंजीयन प्रारम्भ किया जा सकेगा। Add New Student के बटन पर क्लिक कर छात्रों का पंजीयन किया जाएगा।
- छात्र/छात्राओं की विवरणी भरने के उपरान्त उनका चेकलिस्ट प्रिन्ट करना अनिवार्य होगा। प्रिन्ट किए गए चेकलिस्ट से सभी छात्र/छात्राओं की विवरणी का मिलान कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाय ताकि त्रुटि की सम्भावना न रहे। तदुपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर आगे की कार्यवाई की जाएगी।
- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को User ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग कर वे +2 विद्यालय/महाविद्यालय के कोड के अनुसार +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पंजीयन के लिए आवेदित छात्र/छात्राओं का मिलान करते हुए अनुमोदन करेंगे ताकि वैसे ही छात्रों का पंजीयन सम्भव हो सके जो नामांकित हों एवं ग्यारहवीं वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। मिलान करने के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की विवरणी को, यदि आवश्यक हो तो संशोधन कर, अनुमोदित करेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त +2 विद्यालय/महाविद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान Generate करेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे। +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान से यह अनुरोध होगा कि वे सभी छात्रों का एकसाथ चालान जेनरेट करें, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

शुल्क की राशि

1. ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क - ₹80/- प्रति छात्र/छात्रा	
2. पंजीयन शुल्क - ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा	
3. पंजीयन विलम्ब शुल्क - ₹275/- प्रति छात्र/छात्रा	
4. अनुमति शुल्क - ₹500/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)	
5. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)	
6. आब्रजन शुल्क - ₹150/- प्रति छात्र/छात्रा	
7. आब्रजन विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा	

उपयुक्त कोटि के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹200/- मुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।

- * उपयुक्त कोटि के +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन बिना परिषद् की अनुमति के नहीं किया जाना है। यदि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है, किन्तु उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर बाहर चले गए हैं, तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
- * जिन +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) सत्र 2017-19 हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र भरेंगे। साथ ही परिषद् द्वारा निर्गत इस आशय का पत्र Upload करेंगे।
- * सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं का आब्रजन प्रमाण पत्र जमा करना है पंजीयन के साथ Upload करेंगे। अगर पंजीयन प्रपत्र में आब्रजन प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन प्रपत्र भरा जाता है तो ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा छात्र का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय से केवल स्वतंत्र रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है जो नियमित छात्र/छात्राओं के साथ किया जाना है।

नोट:- वर्ष 2018 की इन्टर परीक्षा में निम्नांकित छात्र/छात्राएँ या शिक्षक ही स्वतंत्र छात्र के रूप में बैठ सकते हैं:-

- (1) वैसे शिक्षक जो प्रस्वीकृत संस्था में कार्यरत हैं तथा वर्ष 2017 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे शिक्षक को संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक होने का निर्गत प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।
 - (2) महिला एवं दिव्यांग छात्र, जो वर्ष 2017 एवं उसके पूर्व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे महिला एवं दिव्यांग छात्र को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन अमुक व्यक्ति के निर्देश में किया है और अमुक कारणों से वे इन्टर के नियमित रूप से प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं।
 - (3) पुरुष छात्र भी पंजीयन करा सकते हैं, वे वर्ष 2017 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र जिन कारणों से वे प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं, उससे सम्बन्धित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। स्वतंत्र रूप से कोई भी छात्र प्रायोगिक विषय के साथ विज्ञान संकाय में परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। परीक्षा में भूगोल विषय रखने के लिये उसे प्रस्वीकृत संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने संस्था से 6 माह का नियमित प्रायोगिक कोर्स/कार्य पूरा किया है। परन्तु गृह विज्ञान/संगीत के प्रायोगिक परीक्षा के लिये उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- उपयुक्त कोटि के परीक्षार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र के साथ उल्लेखित वर्ष या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।

निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन संबंधी कार्य बन्द कर दिया जाएगा।

नोट:- (1) सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आब्रजन प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में परिषद् द्वारा मांग किए जाने की स्थिति में उपलब्ध कराया जा सके।
(2) पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।

JAC/4188/17/SECY/528/18
Dt. 19.09.2018
D.O.P : 20.09.2018

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

Size : 16x21

